



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
पंचदीप भवन, सेक्टर 19-ए, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़- 160019
PANCHDEEP BHAWAN, SECTOR 19-A, MADHYA MARG, CHANDIGARH-160019
Phone-0172-2544126, Email: rd-punjab@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.n

वर्ष 2025 का कार्यालय आदेश संख्या 145 / OFFICE ORDER NO. 145 OF 2025

सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 30.06.2025 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की सिफारिशों पर निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को तदर्थ आधार पर सहायक पद पर पदोन्नति देने के आदेश दिए हैं :-

The Competent Authority has ordered the promotion of the following UDCs to the post of Assistant on Adhoc basis on the recommendations of the Departmental Screening Committee meeting held on 30.06.2025: -

क्र.सं./ S.no.	वर्ष 2017-18 के लिए प्र.श्रे.लि. की वरीष्ठता सूचि में क्रमांक / Sr. No. in Seniority list of UDC for the yr. 2017-18	कर्मचारी का नाम व क्र. संख्या / Name of the Official and Emp. ID. सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री / Sh/Smt/Ms..	श्रेणी/ Category	चयनित श्रेणी/ Recommended Category	वर्तमान तैनाती / Present Posting
1.	121	जगमोहित सिंह 172826	OBC	UR	उप-क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर
2.	122	अदित मान सिंह 172346	OBC	UR	शा. का. मोहाली
3.	128	राजू कुमार 174282	OBC	UR	उप-क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर
4.	140	जगदीश राज 172092	UR/ExSM	UR	उप-क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर
5.	141	संदीप कुमार कोतरा 172133	OBC/ExSM	UR	क्षे. का. चण्डीगढ़
6.	143	सुनील कुमार 172126	OBC/ExSM	UR	डी.सी.बी.ओ. फिरोज़पुर
7.	145	धर्मेन्द्र कुमार 171885	OBC/ExSM	UR	क्षे. का. चण्डीगढ़
8.	148	अमनदीप सिंह 175190	UR	UR	क्षे. का. चण्डीगढ़
9.	150	दीपक चौहान 175249	UR	UR	क्षे. का. चण्डीगढ़
10.	152	अमनदीप सिंह 175246	SC	UR	उप-क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना
11.	153	विवेक कुमार 168476	OBC	UR	शा. का. चण्डीगढ़
12.	155	मेघना काकड़िया 168474	UR	UR	उप-क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना
13.	157	सुभाष कुमार 117238	UR	UR	क्षे. का. चण्डीगढ़
14.	158	सतपाल 117256	SC	UR	क्षे. का. चण्डीगढ़
15.	159	परमजीत सिंह 117183	SC	UR	क्षे. का. चण्डीगढ़
	Sr. No. in Seniority list for the yr. 01.04.18 to 31.12.18				

16.	7	गुरमेल सिंह 117246	SC	UR	क्षे. का. चण्डीगढ़
17.	8	सुभाष चंद 117247	SC	UR	उप-क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर
18.	9	तरलोचन सिंह 117193	SC	SC	उप-क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना
19.	12	निरमल सिंह 116566	SC	SC	क.रा.बि. निगम अस्पताल व मेडिकल कॉलेज लुधियाना
	Sr. No. in Seniority list for the yr. 01.01.2020 to 31.12.2020				
20.	47	नेहा भारद्वाज 181710	OBC/PH	UR/PH	क्षे. का. चण्डीगढ़

उक्त कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर सहायक पद पर पदोन्नति मुख्यालय के पत्र दिनांक 27.12.16 के अनुसार की गई है। उक्त कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति उनके कार्यग्रहण करने की तिथि से मानी जाएगी बशर्त कि वे आदेशित पदोन्नति को स्वीकार करते हैं।

The said employees have been promoted to the post of Assistant on ad-hoc basis as per the letter dated 27.12.2016 of the Headquarters. The promotion on ad-hoc basis of the said employees shall be deemed from the date of joining provided that they accept the ordered promotion.

उक्त कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति यह आदेश जारी करने की तिथि से आगामी आदेशों तक की जा रही है। सहायक पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत होने पर पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन नियमानुसार सातवें वेतन आयोग के पे-मेट्रिक्स के लेवल-6 में नियत किया जाएगा। उनकी पदोन्नति अस्थाई व तदर्थ आधार पर की गई है और उन्हें निचले पद पर किसी भी समय बिना कोई सूचना/ कारण बताए पदावनत किया जा सकता है। तदर्थ पदोन्नति से वे भविष्य में अपने पद पर बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति के लिए कोई दावा नहीं कर सकते। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारियों द्वारा इस संवर्ग में की गई सेवा अवधि के न तो संवर्ग में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा और न ही अगले उच्च संवर्ग में पदोन्नति की पात्रता के लिए गिना जाएगा।

The promotion of the said employees on ad-hoc basis is being done from the date of issue of this order till further orders. On promotion to the post of Assistant on an ad-hoc basis, the salary of the promoted employees will be fixed in Level-6 of the Pay Matrix of the Seventh Pay Commission as per rules. They have been promoted on temporary and ad-hoc basis and may be demoted to the lower post at any time without any notice/ reason. They cannot make any claim for ad-hoc promotion or for future retention or regular promotion. It is also clarified that the period of service done by the employees in this cadre shall neither be considered for seniority in the cadre nor counted for eligibility for promotion to the next higher cadre.

उपर्युक्त कर्मचारियों की पदोन्नति विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 30621/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेशों और माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा द्वारा सी.डब्लू.पी सं.13218/2009 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2011 और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के फैसले दिनांक 23-8-17 और अन्य संबंधित न्यायिक मामलों में आने वाले अग्रिम आदेशों के अधधीन होगी।

The promotion of the above officials will be subject to further orders passed by the Hon'ble Supreme Court in Special Leave Appeal (C) no. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.7.2011 in CWP no. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana and arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.8.17 and other related court cases.

उपरोक्त सभी अधिकारियों को फिलहाल उनके वर्तमान तैनाती स्थल पर ही पदोन्नत किया जा रहा है तथा प्रशासनिक आवश्यकता/व्यवहार्यता के अनुसार उनके स्थानांतरण/तैनाती आदेश यथासमय अलग से जारी किए जाएंगे।

All above officials are promoted at their present place of posting for the time being only and their transfer/posting order will be issued separately in due course as per the administrative requirement/feasibility.

उपरोक्त कर्मचारियों की कार्यग्रहण रिपोर्ट सभी संबंधितों को अग्रहित की जाए।

The joining report of the above officials may be forwarded to all the concerned.

उप निदेशक (प्रशा.) / DY. DIRECTOR (ADMN)

सेवा में, / To,

संबंधित कर्मचारी / The Official concerned.

प्रतिलिपि / CC:

- चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि आदर्श अस्पताल व मेडिकल कॉलेज, लुधियाना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।/ MS, ESICMH, Ludhiana for information and necessary action.
- संयुक्त निदेशक(प्रभारी), उप क्षे.का लुधियाना/ जालंधर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।/ JD(I/c), SRO Ludhiana/ Jalandhar for information and necessary action.
- शा.का चण्डीगढ़/ मोहाली/ डी.सी.बी.ओ फिरोज़पुर/ नोडल अधिकारी(ई-ऑफिस)/सतर्कता शाखा/भर्ती शाखा/ निजी फाइल/ का.आदेश फाइल, क.रा.बी.नि, क्षे.का. पंजाब । BO Chandigarh/ Mohali/ DCBO Ferozepur/ Nodal Officer (E-office)/ Vigilance branch/Rectt. branch/ P.File/ Office Order File, ESIC, RO, Punjab
- रोकड़ शाखा/ वित्त एवं लेखा शाखा-2, क्षे. का. पंजाब, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ व आगामी अपेक्षित कार्रवाई हेतु। Cash/ Fin. And Acc. Branch-2, RO Punjab, Chd. for information and necessary action.